

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

84 / 2018
15.11.2018

बजरंग पुत्र छीतर जाति रेगर निवासी नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज०

—अपीलांत

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला—टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार पीपलू दिनांक 30.05.2018 मिसल नम्बर 1374 / 2018

उपस्थिति : (1) श्री विवके चौधरी, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 01.08.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2018 के द्वारा अपीलांत को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 11 बिस्वा किरम गै०मु० रास्ता वाके ग्राम नानेर तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 4/रू. पेनल्टी कायम की गई है। अपीलांत ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांत ने दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने पर अपीलांत को साक्ष्य-सबूत पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.06.2018 नियत की गई थी। दिनांक 07.06.2018 को अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, परन्तु पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार)जी को टोंक जाना बता कर रीडर साहब द्वारा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिये जाने एवं तारीख पेशी की सूचना दिये जाने बाबत अपीलांत को कहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो तारीख पेशी की सूचना दी और ना ही पत्रावली में आगामी तारीख पेशी का उल्लेख किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी में काट-छाट कर दिनांक 30.05.2018 को ही



जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के साथ-साथ अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग भी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत है। अपीलाट का गै0मु0 रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलाट का जिस स्थान पर मकान व बाड़ा बना हुआ है उस भूमि पर अपीलाट के भाई महादेव के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है और उस भूमि पर ही अपीलाट ने अपना रिहायशी मकान व बाड़ा बना रखा है। मकान में विजली का कनेक्शन भी है और ग्राम पंचायत द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। वर्तमान नक्शा शीट में जिस स्थान पर गै0मु0 रास्ता आ0ख0नं0 625 में दर्शा रखा है वहां मौके पर गत 40 वर्षों से कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और ना ही मौके का निरीक्षण किया गया। अतः अपील अपीलाट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 11 बिस्वा,किरम गै0मु0रास्ता वार्के ग्राम नानेर तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बाड़ा बनाने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल कर,पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाट को साक्ष्य-सबूत पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी दिनांक 07.06.2018 नियत करने के उपरान्त तारीख पेशी में काट-छाट कर पत्रावली का निर्णय दिनांक 30.05.2018 को किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अतः प्रकरण को पुनः विधिवत तरीके से सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाट की स्वयं की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 11 बिस्वा किरम गै0मु0 रास्ता वार्के ग्राम नानेर तहसील पीपलू पर अतिक्रमण कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है।

अभिभाषक अपीलाट का कथन है कि अपीलाट को साक्ष्य-सबूत पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.06.2018 नियत करने के उपरान्त तारीख पेशी में काट-छाट कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2018 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है,जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अभिभाषक अपीलाट के कथन पर राजकीय अभिभाषक ने भी सहमति प्रदान की है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार पीपलू द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।


फलतः अपील अपीलान्ट आशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2018 अपारस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड व मौके की



जिला कलेक्टर
दोंक

जांच कर तथा अपीलान्त को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर पुन विधिवत निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्नयी गोपाल)
जिला कलेक्टर दोका
दोका